न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/30

1. सरदार सिंह आयु 64 वर्ष, पुत्र श्री भोपालसिंह जाति मीना निवासी किढवाना तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री विजयपाल एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 23.12.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नम्बर 628 में से 0.03 हैक्टयर व खसरा नम्बर 649 में से 0.02 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 650 में 0.03 हैक्टयर भूमि सरहद मौजा किढवाना तहसील सूरजगढ पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 30/– तीस रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो प्रथम अपील जैर बहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है इसलिये अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान लागू नही होते है। उन्होने आगे कथन किया है कि पटवारी हल्का की तथाकथित अतिक्रमण रिपोर्ट एकपक्षीय है, पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के कब्जे का नाप मौके पर अपीलान्ट की मौजूदगी में नही किया तथा कथित अतिक्रमण की लम्बाई–चौड़ाई दर्ज नही की गई, पटवारी हल्का अतिक्रमण रिपोर्ट साबित करने के लिऐ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बतौर साक्ष्य उपस्थित नही हुआ है। इस प्रकार अतिक्रमण साबित किये बिना ही अपीलान्ट को बेदखल करने के जो आदेश पारित किये है वे खारिज होने योग्य है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति पर प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने गौर नही किया है जो काबिले गौर न्यायालय श्रीमान् है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जमीन जैर बहस पर अपीलान्ट का पूवजों के समय से कब्जा है, अपीलान्ट सन् 1970 के पहले से

P.T.O.

पूर्वजों के समय से पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है, अपीलान्ट को अतिक्रमी माने जाने की सूरत में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या 6/17/राज/दिनांक 03.03.1971 तथा परिपत्र संख्या एफः–6/10/राज/4/77 दिनांक 23.04.1977 के मुताबिक पुराने कब्जे का नियमन करना चाहिये था किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपरोक्त परिपत्रों एवं समय–समय पर जारी अन्य परिपत्रों को नजरअन्दाज कर निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि जमीन खसरा नम्बर 649 व 650 किस्म गैरमुमकीन बाड़ा है जो आबादी के काम में आता है तथा किस्म जमीन गैरमुमकीन बाड़ा पर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करने का हक अधीनस्थ नायब तहसीलदार सूरजगढ को नही है तथा जमीन खसरा नम्बर 628 किस्म जोहड़ है जो कि वास्तविक रूप से चारागाह के काम में नही आ रही है, उक्त भूमि के तमाम क्षेत्रफल पर राजकीय भवन, स्कूल, पंचायत भवन इत्यादि बने हुये है और गांव की आबादी बसी हुई, मौके पर जमीन खसरा नम्बर 628, 649, 650 खाली नही है, अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही गलत रूप से की गई है किन्तु उक्त तथ्यों को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी बिना डिस्कस किये अपीलाधीन निर्णय पारित करने में अहम कानूनी भूल कारित की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक सारवान बिन्दु उठाया था कानून से जहॉ कोई सारवान बिन्दु अन्तर्वलित हो उस सूरत मे समरी प्रोसीडिन्ग के मार्फत कार्यवाही नही की जा सकती, अपीलान्ट के विरूद्ध तथाकथित अतिक्रमण व बेदखली के बाबत कार्यवाही नियत वाद के द्वारा ही हो सकती थी जिसके लिये मियाद निकल चुकी है, इस कारण पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में तथाकथित कब्जे के सम्बन्ध में नया अथवा पुराना निमार्ण के सम्बन्ध में कोई तथ्य दर्ज नही किये है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्याायालयों के तथ्यों व विधि को अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2020 को एवं जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 को अपास्त किया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी नही प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि यह निविर्वाद तथ्य है कि ग्राम किढवाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 628 गैर मुमकीन जोहड़ तथा खसरा नम्बर 649 व खसरा नम्बर 650 गैर मुमकीन बाड़ा है। उक्त भूमि राजकीय भूमि होने से उक्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान लागू होते है तथा उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की

भूमि में आती है जिस पर किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का किया गया कब्जा अवैध तथा गैर कानूनी है तथा अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये गये है जिससे उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार साबित होता हो। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.01.2021 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/12/23

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।